



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी
प्रेस नोट

दिनांक-17.09.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लालपुर पाण्डेयपुर में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 वर्ष कारावास एवं 10000/- रु. का अर्थ दंड।

थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-215/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त देवा सोनकर पुत्र बच्चन सोनकर निवासी दामोदरपुर छाई थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लालपुर पाण्डेयपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-16.09.2024 को माननीय विशेष न्यायालय एसजे-5 वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।